न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धरियावद जिला प्रतापगढ़

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **परिवाद संख्या -231/2025** **रूपसिंह राणावत बनाम केसरीया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुंक्म की तामील में जारी हुए
21.08.2026	परिवादी अधिवक्ता उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। परिवाद दर्ज रजिस्टर हो। जहां तक धारा 223 बी.एन.एस.एस. के तहत अभियुक्त को प्रसंज्ञान लिए जाने से पूर्व सुने जाने का प्रश्न है। इस संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Sanjabij Tari Vs Kishor S. Vorcar & Anr. , Criminal Appeal No. 1755 of 2010** में प्रतिपादित सिद्धान्त का अवलोकन किया गया जिसके तहत परक्राम्य लिखत अधिनियम एक विशिष्ट कानून है जिसके तहत धारा 223 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत अभियुक्त को प्रसंज्ञान से पूर्व नोटिस दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अभियुक्त को नोटिस जारी किए बिना ही परिवादी को प्रसंज्ञान पर सुना गया। परिवाद के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र, बैंक रिटर्न मीमो, नोटिस व डाक रसीद आदि का अवलोकन किया गया, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा विधिक दायित्व के उन्मोचन में **Table No. 01 - चैक संबंधित जानकारी** 	क्रम संख्या	चैक संख्या	तादादी	दिनांकित	बैंक एवं शाखा	 |---|---|---|---|---|
1	015601	70,000/-	09.06.2025	RMGB, Mungana | **Table No. 01 - चैक संबंधित जानकारी** | क्रम संख्या	चैक संख्या	चैक अनादरण दिनांक	चैक अनादरित होने का कारण | |---|---|---|---|
1	015601	11.06.2025	Fund Insufficient	 इस बाबत परिवादी ने जरिये अधिवक्ता एक रजिस्टर्ड नोटिस अभियुक्त को निर्धारित समयावधि में चैक की राशि के भुगतान बाबत प्रेषित किया। बावजूद नोटिस अभियुक्त द्वारा चैक की राशि का निर्धारित समयावधि में भुगतान नहीं किया गया। तत्पश्चात एक माह के भीतर परिवादी द्वारा हस्तगत परिवाद पेश किया गया है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात से भी परिवाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। परिवादी की ताईदी साक्ष्य एवं प्रलेखनीय साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर **केसरिया पुत्र मनजी निवासी भागाडेरा पोस्ट मूंगाणा तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ राजस्थान** के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के जुर्म में प्रसंज्ञान	

न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धरियावद जिला प्रतापगढ़

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **परिवाद संख्या -231/2025** **रूपसिंह राणावत बनाम केसरीया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित आपराधिक हो।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपपत्र क्रमांक संख्या 9/P.I./2021 दिनांक 19.05.2021 में जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना में धारा 223 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अनुसार जांच की गई। मुलजिम को जरिये सम्मन तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रकरण में धारा 227 बी.एन.एस.एस. की पालना होने अर्थात गवाहान सूची पेश होने एवं तलबाना पेश होने पर अभियुक्त को जरिये सम्मन तलब किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। परिवादी सम्मन की तामील जरिये रजिस्ट्री करवाने हेतु स्वतंत्र है। यदि अभियुक्त रजिस्टर्ड पोस्ट से की गई तामील के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो रजिस्ट्री की रसीद पेश करने पर धारा 27 जनरल क्लॉज एक्ट के अन्तर्गत यह उपधारणा ली जाएगी कि अभियुक्त को सम्मन की तामील हो चुकी है। सम्मन पर यह नोट अंकित हो कि अभियुक्त द्वारा प्रकरण की प्रथम या द्वितीय पेशी पर अपराध के सम्मन (राजीनामा) हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर उसे बिना कॉस्ट अधिरोपित किए राजीनामा की अनुमति दी जा सकेगी। पत्रावली वास्ते तलबी मुलजिम दिनांक **02.12.2026** को पेश हो।